

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/10/79 दिनांक:- 27/11/10

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/डीपीसी/कास/10/77 दिनांक 25.1.10 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत वरिष्ठ लिपिक से कार्यालय सहायक पद पर पदोन्नत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	श्री कृष्णबिहारी नंदवाना	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा के अधीन
2	श्री अशोक कुमार	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी चूरु	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी चूरु के अधीन
3	श्री श्याम बहादुर श्रीवास्तव	निदेशालय चिकि० एवं स्वा० सेवाएं, जयपुर	निदेशालय चिकि० एवं स्वा० सेवाएं, जयपुर
4	श्री नागेन्द्र सिंह	निदेशालय चिकि० एवं स्वा० सेवाएं, जयपुर	निदेशालय चिकि० एवं स्वा० सेवाएं, जयपुर
5	श्री मोहन लाल	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हनुमानगढ
6	श्री जगदीशचन्द्र गुजराती	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भीलवाडा	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चित्तौडगढ
7	श्री राजेन्द्रप्रसाद विजयवर्गीय	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भीलवाडा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के अधीन
8	श्री इस्लामुद्दीन कुरेशी	निदेशालय चिकि० एवं स्वा० सेवाएं, जयपुर	निदेशालय चिकि० एवं स्वा० सेवाएं, जयपुर
9	श्री दिनेशकुमार माथुर	निदेशालय चिकि० एवं स्वा० सेवाएं, जयपुर	निदेशालय चिकि० एवं स्वा० सेवाएं, जयपुर
10	श्री चिरागुद्दीन कुरेशी	निदेशालय चिकि० एवं स्वा० सेवाएं, जयपुर	निदेशालय चिकि० एवं स्वा० सेवाएं, जयपुर
11	श्री डालचन्द शर्मा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भरतपुर
12	श्री राधेगोपाल डंगायच	निदेशक, पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र जयपुर	अधीक्षक एस०एम०एस० चिकित्सालय जयपुर
13	श्री रियाज अहमद	औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर	औषधि परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर
14	श्री विश्वबन्धू आर्य	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी अलवर	कार्यालय मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी अलवर
15	श्री सत्यनारायण शर्मा	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी अजमेर	कार्यालय मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी अजमेर

6/11

16	श्री ओमप्रकाश शर्मा	अधीक्षक एस0एम0एस0 चिकित्सालय जयपुर	निदेशालय चिकि0 एवं स्वा0 सेवाएं, जयपुर
17	श्री सुमन कुमार जलुथरिया	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी अजमेर	राजकीय जनाना चिकि0 अजमेर
18	श्री राधेश्याम महावर	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी टोंक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के अधीन
19	श्री नरेन्द्र सिंह	कमला नेहरू प्रादेशीय क्षय प्रद0 प्रशि0 केन्द्र अजमेर	कमला नेहरू प्रादेशीय क्षय प्रद0 प्रशि0 केन्द्र अजमेर
20	श्री खैरूलाल जग्रवाल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी जयपुर द्वितीय	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी जयपुर द्वितीय
21	श्री पूर्णमल रैगर	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी चित्तौडगढ	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधि0 चित्तौडगढ के अधीन
22	श्री जगदीश नारायण मीणा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी जयपुर प्रथम	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधि0 जयपुरप्रथम के अधीन
23	श्री हरीराम खराडी	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी उदयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ के अधीन
24	श्री कैलाश मीणा	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी टोंक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के अधीन
25	श्री विष्णुलाल मीणा	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर	संयुक्त निदेशक जोन कार्यालय कोटा
26	श्री रामस्वरूप मीणा	निदेशालय चिकि0 एवं स्वा0 सेवाएं, जयपुर	निदेशालय चिकि0 एवं स्वा0 सेवाएं, जयपुर
27	श्री अमर सिंह मीणा	मुख्य चिकि0 एवं स्वा0 अधिकारी झुन्झुनू	ब्लाक मुख्य चिकि0 अधि0 नवलगढ, झुन्झुनू के अधीन

उपरोक्त कर्मचारी अपने पदोन्नति स्थान पर दिनांक 16.2.10 तक कार्यग्रहण कर लें अन्यथा

उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जायेंगे ।

(15-2-10)

नोट:- जो कर्मचारी पदोन्नति पर निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो उन्हें दिया-गया चयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.2.98 में उल्लेखित प्रावधानानुसार तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया जाये तथा कर्मचारी को भी अवगत कराये ।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.6.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति अगले पांच वर्ष के लिए रूक जायेगी एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाये इस आशय का संबंधित कर्मचारी से संबंधित अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण कराये ।


अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर

कमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/कास/10/79

दिनांक:- 27/11/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0
- 2- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय ।
- 3- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 4- आदेश/रक्षित पत्रावली ।


अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर